i-IV /350/56 दि. 19.9.2002 卐 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 卐 ☎ 246375

वागड़ सेवा संस्थान ट्रस्ट (रजि.)

धर्मशाला, महात्मा गांधी अस्पताल परिसर, बांसवाडा (राज.)

दिनांक ....

वागड़ सेवा संस्थान ट्रस्ट, बांसवाडा
(विधान , नियम व उपनियम)

नियम 1 :–

संस्था ट्रस्ट का नाम :– "वागड सेवा संस्थान ट्रस्ट" इस संस्थान ट्रस्ट का नाम रहेगा एवं यह संस्थान ट्रस्ट इसी नाम से जाना जावेगा ।

नियम 2 :–

ट्रस्ट का कार्यालय :– ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय बांसवाडा में रहेगा एवं आवश्यकता होने पर अन्य स्थानों पर ट्रस्ट द्वारा दुसरे कार्यालय प्रारम्भ किये जा सकते हैं । ट्रस्ट का कार्यालय धर्मशाला रा.म.गा.जिला चिकित्सालय परिसर मे हैं ।

नियम 3 :–

ट्रस्ट का पंजिकृत दस्तावेज :– ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी श्री भारत सिंह पुत्र श्री गजराज सिंहजी सिसोदिया नांदली अहाडा त. आसपुर जिला डूँगरपुर हाल 20 सेक्टर 8 उदयपुर द्वारा दिनांक 19.9.2002 को उपपंजियक कार्यालय बांसवाडा में इक्यावन ट्रस्टीयों के नाम से पंजीकृत कराये गये दस्तावेज क्रमांक 4/350/56 दिनांक 19.9.2002 ट्रस्ट का पंजिकृत दस्तावेज कहलायेगा ।

नियम 4 :–

1. ट्रस्ट के उद्देश्य पुन्यार्थ एवं मानव सेवा के हैं । ट्रस्ट के पंजिकृत दस्तावेज में अंकित बिन्दु ट्रस्ट के उद्देश्य है जो इस प्रकार है :–

1. अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ आने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क अथवा न्यूनतम राशि पर आवास, भोजन एवं अन्य सुविधाऍं उपलब्ध कराना एवं अस्पताल परिसर में धर्मशाला का संचालन करना ।

2. अस्पताल मे भर्ती होने वाले असहाय लोगों को निःशुल्क अथवा न्यूनतम राशि पर दवाईयॉं उपलब्ध कराना एवं उनके प्रयोगशाला में मल–मूत्र, खुन आदि की जॉंच सुविधा उपलब्ध कराना ।

3. अस्पताल में भर्ती गरीब/असहाय मरीजों को पोष्टिक आहार, फल, दुध इत्यादि निःशुल्क उपलबध कराना ।

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग

FOR COPYING FEES ONLY रुपये 25 PAISE
FOR COPYING FEES ONLY रुपये 75 PAISE

. नं. IV / 350 / 56 दि. 19.9.2002 卐 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। 卐 ☎ 246375

वागड़ सेवा संस्थान ट्रस्ट (रजि.)

धर्मशाला, महात्मा गांधी अस्पताल परिसर, बांसवाडा (राज.)

क्रमांक दिनांक ....

4. जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर ईलाज के लिए मिलने वाली निःशुल्क व्यवस्थाओं की सुविधाओं के लिए प्रयास कर मरीजों को दिलवाना ।

5. लावारिस लाश का दाह संस्कार करवाना एवं गरीब व्यक्तियों को शव को उनके निवास स्थान पर निःशुल्क पहुँचाना ।

6. अस्पताल में भर्ती होने वाले गरीब / असहाय लोगों की निःशुल्क जॉच, एक्सरे इत्यादि करवाना ।

7. संस्था द्वारा विशेष शिविर का आयोजन कर बाहर से विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाकर मरिजों का ईलाज कराना ।

8. आकस्मिक दुर्घटनाओं में पीडित लोगों की सहायता करना ।

9. रक्त दान के लिए नागरिको को प्रेरित करना एवं रक्त दाताओं के अभिलेख रखना ।

10. नशा मुक्ति के लिए शिविर आयोजित करना ।

11. नागरिकों की अन्य राजकीय विभागों से संबंधित समस्याओं को निराकरण कराने मे सहयोग करना ।

12. अन्य सभी जन कल्याण के कार्य करना ।

13. औषधालय, चिकित्सालय, सेनेटोरीयम, प्रसूति गृह वगैरह की स्थापना, निर्माण, संचालन एवं इस प्रकार की चलने वाली संस्थाओं को मदद करना ।

14. जरूरत मन्द अथवा गरीब बेसहारा व्यक्ति को अनाज, कपडे या कोई भी प्रकार की मदद करना ।

15. जरूरत मन्द तथा गरीब व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा अथवा औषधि की मदद करना ।

16. ट्रस्टियों को योगय लगे उस जगह विश्रांति गृह, धर्मशालय, वृद्धाश्रम, आराम गृह, भोजनशाला आदि बनाना, बनवाना, चलाना तथा ऐसी संस्थाओं को योग्य मदद करना।

17. सामान्य लोक कल्याण के कार्य करना, करवाना तथा ऐसे कार्यों के लिये मदद करना ।

18. निःसहाय, बेरोजगार तथा अनपढ, स्त्री, पुरूषों एवं बालकों को गृह उद्योग तथा हेण्डीकाफ्ट जैसे की सुथारी काम, कारपेट बनाना, सिलाई बुनाई, कढाई पेटिंग, एम्ब्रोडरी आदि अन्य सभी लघु उद्योगों का शिक्षण देने वाली संस्थाओं की स्थापना अथवा चलाना परन्तु ऐसी किसी संस्था की आवक संस्था के उद्देश्य एवं उसी के विकास में खर्च की जावेगी । आवक अथवा कमाई करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाऐं नहीं चलाई जा सकेगी।

19. उपरोक्त उद्देश्यों हेतु संचालित पब्लिक चेरीटेबल को ट्रस्ट द्वारा नियमानुसार दान देना ।

सत्य-प्रतिलिपि

20. संस्था के ट्रस्टी अथवा अन्य कोई दानदाता अपने परिवार जन की स्मृति मे संस्था में कोष निर्धारण कर सकेगें जो उनके परिजन की स्मृति में उनके द्वारा निर्धारित नियमानुसार खर्च कर सकेगें ।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग

V /350/56 दि. 19.9.2002 卐 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। 卐 ☎ 246375

वागड़ सेवा संस्थान ट्रस्ट (रजि.)

धर्मशाला, महात्मा गांधी अस्पताल परिसर, बांसवाडा (राज.)

क्रमांक दिनांक .....

21. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार या अन्य संस्थाओं सेस अनुदान / सहायता आदि प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकेगा ।
22. पोस्ट मार्टम कराने के लिये आने वाले लोगों को ठहराना ।
23. दवाघर खोलना ।